

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गिनो 241/2025

1. गोपालराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. प्रेमराम पि0 हीराराम जाति जाट निवासीयान चाईयां तहसील रावतसर जिला
2. रुपराम हनुमानगढ़।
3. जाकौरी देवी पुत्री हीराराम पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रेशमा देवी पुत्री हीराराम पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
5. लक्ष्मीनारायण पुत्रगण भूराराम पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी चाईया तहसील
6. महावीर प्रसाद रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. राधा पुत्री भूराराम पत्नी ताराचंद जाति जाट निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. चन्द्रकला पुत्री भूराराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. संतोष पत्नी रुपराम जाति जाट निवासी चाईयां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी गुताविक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वकनं0 29 एनजीसी के खाता सं0 16/25 में कुल 4.048 है0 में नानूदेवी का 9/184 हिस्सा व प्रतिवादीसं0 9 संतोष देवी का 85/4048 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काशतकार किया जाकर वकनं0 29 एनजीसी के खाता सं0 16/25 में से नानूदेवी व प्रतिवादीसं0 9 संतोष देवी का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजरव टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एव जमाबंदी में मै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजरव रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजरव)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।